उत्तर प्रदेश शासन
ग्राम्य विकास अनुभाग-9
संख्या-04/2020/पी-33/अड़तीस-9-2020-01(बजट)/2017टी0सी0
लखनऊ, दिनांक-28 जनवरी, 2020

शुद्धि-पत्र

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत वामपंथ उग्रवाद से ग्रस्त क्षेत्र में मार्ग सम्पर्कता परियोजना (आर0सी0पी0एल0डब्ल्यू0ई0ए0) हेतु प्रशासनिक मद में भारत सरकार द्वारा प्रथम किश्त के रुप में अवमुक्त केन्द्रांश रु0 74,16,65,000.00 (रुपये चौहत्तर करोड़ सोलह लाख पैसठ हजार मात्र) की धनराशि शासनादेश संख्या-02/2020/पी-16/अड़तीस-9-2020-01(बजट)/2017टी0सी0 दिनांक-17.01.2020 द्वारा मुख्य कार्यपालक अधिकारी उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण लखनऊ के निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके प्रथम प्रस्तर में प्रशासनिक मद का उल्लेख किया गया है।

2- उक्त शासनादेश संख्या-02/2020/पी-16/अड़तीस-9-2020-01(बजट)/2017टी0सी0 दिनांक-17.01.2020 में उल्लिखित प्रशासनिक मद के स्थान पर प्रोग्राम फण्ड पढा जाय।

3- कृपया उक्त शासनादेश दिनांक-17.01.2020 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

सुधीन्द्र कुमार
विशेष सचिव।

संख्या-04/2020/पी-33(1)/अडतीस-9-2020-01(बजट)/2017टी0सी0, तददिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4- डा0 सुरभि राय, निदेशक (आर0सी0), ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001
5- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ।
7- अपर आयुक्त (लेखा), ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
8- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक)/अनुभाग-1
10- निदेशक, बजट/विशेष कार्याधिकारी, ग्राम्य विकास/ग्राम्य विकास अनुभाग-3
11- गार्ड बुक।

आज्ञा से,
लाल धीरेन्द्र राव
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in